भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 263

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक खेती पद्धति

263. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में जैविक खेती ने महत्वपूर्ण लोकप्रियता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से किसानों को खेती की निवेश लागत और विदेशों से खरीदे गए आदानों पर निर्भरता को कम करने में भी सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) खेती की निवेश लागत और विदेश से खरीदे गए आदानों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसानों को राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जी हां। हाल के वर्षों में जैविक खेती ने महत्वपूर्ण गति पकड़ी है। जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीके, किसानों को खेती की इनपुट लागत और बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम करने में मदद करते हैं। जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और खेत पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सिंथेटिक इनपुट के उपयोग से बचती है या कम करती है। जैविक खेती के लिए आधुनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक तरीकों को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ता है ताकि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जा सकें और सिंथेटिक्स के उपयोग के बिना कीटों और बीमारियों का प्रबंधन किया जा सके। जैविक खेती प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु लचीला सतत खेती प्रणालियों को बढ़ावा देती है जो मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बनाए रखने व बढ़ाने और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने को सुनिश्चित करती है। प्राकृतिक खेती फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के स्थान पर जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र आदि जैसे अपने खेत में उत्पादित उत्पादों के उपयोग से उत्पादन लागत में कटौती करने के लिए कार्यात्मक विविधता को प्रोत्साहित करती है। ऐसे इनपुट के परिणामस्वरूप इनपुट की खरीद के लिए किसानों की बाहरी बाजारों पर निर्भरता कम हो जाती है और अंततः किसानों की खेती की लागत कम हो जाती है।

(घ): सरकार वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना प्रोत्साहित कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीमों के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। दोनों ही स्कीमें, जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन, विपणन, फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सभी तरह की सहायता पर बल देती है और पारंपरिक कृषि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान किए जाते हैं। एमओवीसीडीएनईआर के तहत एफपीओ के निर्माण, किसानों को जैविक इनपुट, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री के लिए सहायता और प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग तथा प्रमाणन हेतु 3 वर्षों के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से स्कीम के तहत सीधे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र राज्य सहित पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) कुल 2481 करोड़ रूपये (भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रूपये और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रूपये) परिव्यय वाला एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक क्लस्टर लगभग 50 हेक्टेयर के समीपवर्ती क्षेत्र में बनाया जाएगा और क्लस्टर में लगभग 125 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के इनपुट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मिशन के तहत 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षित किसानों के लिए प्री मानसून ड्राई बुवाई (पीएमडीएस), बीजामृत, जीवामृत आदि का प्रयोग, विविध फसल प्रणाली, प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता, पशुओं के रखरखाव, प्राकृतिक खेती के इनपुट तैयार करने या बीआरसी से प्राकृतिक खेती के इनपुट खरीदने, इनपुट तैयार करने के लिए ड्रम और भंडारण कंटेनर खरीदना आदि जैसे प्राकृतिक खेती के लिए स्कीम में 2 वर्ष तक प्रति वर्ष प्रति किसान प्रति एकड़ 4,000 रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत छोटे जोत वाले क्षेत्र में कर सकता है और अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक प्राकृतिक खेती के तहत सहायता के लिए पात्र हो सकता है। कृषि सखियों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा हैंडहोल्डिंग सहायता के साथ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के पैकेज पर व्यापक प्रशिक्षण का प्रावधान है।

अनुबंध-I

पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण.

रुपए लाख में

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि
पीकेवीवाई				
1	आंध्र प्रदेश	-	970.00	2099.00
2	बिहार	1547.68	402.00	312.00
3	छत्तीसगढ	-	1892.50	1188.00
4	गुजरात	-	196.00	282.00
5	गोवा	-	250.00	70.50
6	झारखंड	-	163.00	399.00
7	कर्नाटक	512.55	2803.00	974.00
8	केरल	1712.07	71.00	392.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	33.00	1250.00
10	**महाराष्ट्र**	**449.67**	**1681.00**	**1256.00**
11	ओडिशा	370.72	791.00	373.50
12	पंजाब	-	-	278.50
13	राजस्थान	1783.26	800.00	750.00
14	तमिलनाडु	-	1564.00	1620.00
15	तेलंगाना	-	-	212.00
16	उत्तर प्रदेश	5089.32	5881.00	4500.00
17	पश्चिम बंगाल	555.39	1717.00	1120.75
18	हिमाचल प्रदेश	-	124.00	746.00
19	उत्तराखंड	5969.00	767.00	2305.00
20	सभी संघ राज्य क्षेत्र	193.55	380.02	2305.00
	कुल	**18183.20**	**20485.70**	**20463.75**
एमओवीसीडीएनईआर				
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी की गई राशि	**जारी की गई राशि**	**जारी की गई राशि**
1	असम	2059.15	3684.91	2031.00
2	मणिपुर	2915.36	2805.38	1977.00
3	मेघालय	621.57	2465.40	2343.00
4	नागालैंड	1390.60	2346.10	1735.00
5	मिजोरम	1140.90	2336.16	2380.00
6	अरुणाचल प्रदेश	1642.17	2574.75	988.00
7	सिक्किम	1538.83	3260.69	1219.00
8	त्रिपुरा	3000.26	3370.04	2266.00
	कुल	**14308.84**	**22843.43**	**14939.00**

*****